अनुसूची 21 [फारम सं० 113]

7-222 9.

संपत्ति अवभार प्रमाण-पत्र

419

प्रमाण-पत्र संख्या 19..... आवेदन सं० 1439 19 28-2-2024

चूंकि श्री Amarjit Kumar

ने मेरे पास आवेदन दिया है कि निम्नांकित संपत्ति के संबंध में निबंधित संव्यवहारों और अवभारों का सविवरण प्रमाण पत्र दिया जाये। (आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण दे।)

इसलिये मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति को प्रमाणित करने वाले संव्यवहारों और अवभारों के बारे में बही में और उससे सम्बद्ध अनुक्रमणियों में ता० 2005 to fill date से ता० 19 As Per Index II तक तलाशी की गयी और ऐसी तलाशी के फलस्वरूप निम्न संव्यवहारों और अवभारों का पता चला है अर्थात्

सम्पत्ति ऋण अवभार से मुक्त है।

क्र० सं०	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार तथा मूल्य	पक्षों के नाम		दस्तावेज की प्रविष्टि के प्र० निर्देश		
				निष्पादक	दावेदार	जिल्द	वर्ष	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Mauza — Rukanpura; Thana No — 18 P.S. — Rupaspur Tauzi No — 5281 Khata No — 112, ~~95~~ Plot No — 728 (P), 736 (P), 725 (P) Area — 71.79 Decimals.							

1. दस्तावेज की प्रकृति (बिक्री आदि)

2. संबंधक पक्ष की जिसे [illegible] की अपेक्षा है

3. पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और सालाना किराया

मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त संव्यवहारों और अवधारों को छोड़ उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाले किसी अन्य संव्यवहार और अवभार का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलासी की प्रमाण-पत्र तैयार किया:

(हस्ताक्षर): U.D.C

(पदनाम):

तलासी का सत्यापन और तलाशकर्ता अन्य निम्न व्यक्ति ने की:

(हस्ताक्षर):

(पदनाम):

कार्यालय: - Sub Registrar, Danapur

तारीख: 28-2-2020

28-2-2020

मुहर एवं निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

निबंधन अधिनियम, 1908 की धारा 68 के अधीन जो व्यक्ति (क) दे, और (ख) जिन व्यक्तियों (यदि कोई हो) को उक्त धारा के अधीन नोटिस जारी किया गया है, उनके उपस्थित होने पर या उनकी अनुपस्थिति में, जिन्हें निबंधन अधिकारी के समाधान के प्रमाण पत्र को उक्त धारा के अधीन तलासी करनी होती। निर्धारित फीस का भुगतान करने पर संबंधित व्यक्तियों को [illegible] भेजी जायेगी।

(ख) किन्तु यदि तलासी मामले में आवेदक ने स्वयं उपस्थित कार्यालय अवधियों [illegible] के भीतर किसी भी समय दिनांकित नहीं होना।

(ग) यदि तीन [illegible] में आवेदक के आवेदन पर [illegible] और पुनः उसके संबंधित [illegible] को सत्यापन के बाद प्रमाण पत्र में लिखा है, उसी पर आवेदक द्वारा दी गई फीस पर्याप्त और सत्यापन पूर्ण होने के लिए निबंधन पत्र [illegible] जिसमें उक्त संपत्ति का प्रभाव पड़ता हो।

कार्यालय, जिला निबंधक अवर निबंधन कार्यालय - दानापुर

प्राप्त संख्या 400 दिनांक 11/2/2020

आवेदक श्री Amarjeet Kumar

का खाताधार प्रमाणपत्र, पेश द्वारा Canara Bank (Exhibition Road) D. Patna

का उसके पत्र संख्या दिनांक [illegible] के रूप में अग्रसारित की जाती है।

निबंधन पदाधिकारी

8/2/2020

SPL-4(099)-2,00,000